

प्रेम

श्री अजीत गोस्वामी,
सिपुला सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

एच.एच.
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रौद्योगिक विहार नई दिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग

तकक: दिनांक: 24 जून, 1999

विषय:- प्रेम बहादुर सिंह भट्टोली पब्लिक स्कूल भट्टोली को सी०बी०एस्त०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे घट बहने का निदेश हुआ है कि प्रेम बहादुर सिंह भट्टोली पब्लिक स्कूल भट्टोली को सी०बी०एस्त०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीताघटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में विद्या निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रशिक्षित स्थापन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहने और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से जितनी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा त्रैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की तत्कालीन फार दि अनुदान स्कूल तटीफिकेट इकायमिशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तथ्य से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं विद्यार्थी कर्माचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्माचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

com-
mit-
al-
ly-
ther-
isse/
ects/
rd as
f the
h the
ision
le of
h the
ed to
and
board
f the

- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमत्त सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का 'रिकार्ड' निर्धारित प्रपत्र/मंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में ~~अव्यक्त~~ कार्यरत प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या विधिभङ्गा बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भारतीय,

अशोक गांगुली।
संयुक्त सचिव।

प्रसंग संख्या 1299/111/15-7-1999 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गिजापुर।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, भदोली।
- 4- निरीक्षक, अंगत भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, प्रेम बहादुर भदोली पब्लिक स्कूल बानपुर रोड भदोली-221401

आज्ञा से,

अशोक गांगुली।

संयुक्त सचिव।

com-
mit-
tal...
ily...
reter...
asses/
jects/

rd as

of the
h the
ston
le of
h the
ed to
and

board
f the